न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
94 / 2019	दावा 88 RTA	13.09.2019	27.09.2019

1. मन्जूकंवर पुत्री बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी धीरासर बीकान तहसील वा जिला चूरू हाल निवासी ग्राम ठेडी जिला सीकर (राज.)
2. शम्मूकंवर पुत्री बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी धीरासर बीकान तहसील वा जिला चूरू हाल निवासी तिहाय जिला सीकर (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री पवनसिंह शेखावत एवं श्री योगेश शर्मा वादीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 52 तादादी 3.7560 हैक्टेयर व खसरा संख्या 72 तादादी 8.7021 हैक्टेयर कुल तादादी 12.4821 हैक्टेयर रोही मौजा धीरासर बीकान तहसील चूरू में संयुक्त खातेदारी की स्थित है। यह कृषि भूमि पहले वादीगण के पिता बिरजूसिंह के खातेदारी की थी जिनका स्वर्गवास होने पर वादीगण को यह भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। वादीगण के पिता बिरजूसिंह के तीन पुत्रियां मन्जूकंवर, सन्जूकंवर व शम्मूकंवर वारिसान हैं लेकिन राजस्व अधिकारियों की गलती से वादिनी मन्जूकंवर के नाम के स्थान पर विनोदकंवर पुत्री बिरजूसिंह व शम्मूकंवर के नाम के स्थान पर शम्पू पुत्री बिरजूसिंह लिख दिया है जिस कारण वादीगण के नामों में राजस्व रिकार्ड में गलती चली आ रही है जिसे दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादीगण के पिता बिरजूसिंह के विनोदकंवर व शम्पू नाम से कोई पुत्री सन्तान नहीं थी। वादीगण के पिता बिरजूसिंह के तीन पुत्रियां मन्जूकंवर, सन्जूकंवर व शम्मूकंवर हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादिनी मन्जूकंवर व शम्मूकंवर का नाम गलत अंकित हो गया जबकि वादीगण के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र व भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेजात् में मन्जूकंवर व शम्मूकंवर नाम अंकित हैं तथा इसी के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यह कि वादीगण ने रेकार्ड दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी तहसीलदार महोदय से सम्पर्क किया तो पहले वे टालमटोल करते रहे, अन्त में दिनांक 02.09.2019 को राजस्व रेकार्ड दुरूस्ती करने में असमर्थता जाहिर करते हुए इन्कार कर दिया। लिहाजा यही इन्कारी की तारीख बिनाय मुखास्मत दावा है तथा इस कृषि भूमि में वादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से वादीगण को दावा लाने का अधिकार हासिल है। यह कि दावा में तहसीलदार महोदय को तकमीलन पक्षकार बनाया गया है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में अंकन उन्हीं के माध्यम से होना है। राज्य सरकार के विरूद्ध ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है जिससे उसके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। इसलिए दफा 80 (2) सी.पी.सी.

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

का नोटिस दिये बगैर ही यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादगत कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। इसलिए माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार हासिल हैं तथा दावा उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जाकर नीचे लिखे अनुसार डिकी फरमाया जावेः–

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि खसरा संख्या 52 तादादी 3.7560 हैक्टेयर व खसरा संख्या 72 तादादी 8.7021 हैक्टेयर कुल तादादी 12.4821 हैक्टेयर रोही मौजा धीरासर बीकान में वादीगण का नाम विनोदकंवर पुत्री बिरजूसिंह के स्थान पर मन्जूकंवर पुत्री बिरजूसिंह व शम्पू पुत्री बिरजूसिंह के स्थान पर शम्मूकंवर पुत्री बिरजूसिंह अंकित किया जावे तथा इसी के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कर रेकार्ड दुरूस्त किया जावे।

(ख) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि जवाब नहीं देना चाहते, जिस पर जवाब बन्द किया जाकर वकील वादीगण को साक्ष्यवादी हेतु कहा गया। वकील वादीगण ने कथन किया कि पत्रावली पर पेश दस्तावेजों को ही साक्ष्यवादी माना जावे, जिस पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। वकील वादीगण ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादीगण के पिता का स्वर्गवास होने के बाद जो विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ उसमें वादीगण का नाम कमशः विनोदकंवर व शम्पू दर्ज हो गया जबकि वादीगण का सही व दस्तावेजी नाम मन्जूकंवर व शम्मूकंवर है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गलत दर्ज होने से उन्हें केसीसी व अन्य राजकीय कार्यों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादीगण ने वादगत कृषि भूमि में अपने गलत दर्ज नामों को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादी ने विरोध में कोई जवाबदावा या साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड पेश किये हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि वादीगण का सही नाम मन्जूकंवर व शम्मूकंवर है। अतः दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम उक्त दस्तावेजों के मुताबिक विनोदकंवर पुत्री बिरजूसिंह व शम्पू पुत्री बिरजूसिंह के स्थान पर मन्जूकंवर पुत्री बिरजूसिंह व शम्मूकंवर पुत्री बिरजूसिंह अंकित करने का आदेश फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ख.नं. 52, 72 तादादी 3.7560, 8.7261 हैक्टेयर रोही ग्राम धीरासर बीकान में वादिनी सं. 1 का नाम विनोदकंवर पुत्री बिरजूसिंह व वादिनी सं. 2 का नाम सम्पू पुत्री बिरजूसिंह दर्ज है जिनको वादिनीगण दुरूस्त करवाना चाहती हैं। वादी सं. 1 के परिवार राशन कार्ड सं.ख्या 008124000238, मतदाता पहचान पत्र सं. एफडीएच/1543388, आधार कार्ड सं. 595258491626 तथा भामाशाह कार्ड सं. VBPKRRN आदि समस्त दस्तावेजों में वादिनी सं. 1 का सही नाम मन्जूकंवर अंकित है एवं वादी सं. 2 के मतदाता पहचान पत्र सं. वाईआईएन/0482018, आधार कार्ड सं. 637227246141

उपखण्ड अधिकारी

तथा भामाशाह कार्ड सं. VSZOKW आदि समस्त दस्तावेजों में वादिनी सं. 2 का सही नाम शम्मूकंवर अंकित है। इसी प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत जासासर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी अंकित किया गया है कि मन्जूकंवर व विनोदकंवर दोनों एक ही है तथा शम्मूकंवर व सम्पू भी दोनों एक ही हैं तथा वादिनीगण का सही नाम मन्जूकंवर, शम्मूकंवर पुत्री बिरजूसिंह हैं। दावा के साथ वादगत कृषि भूमि की सह खातेदार संजूकंवर पुत्री बिरजूसिंह पत्नी भंवरसिंह, जो वादिनीगण की सगी बहिन है, ने एक शपथ पत्र भी पेश किया है जिसमें अंकित किया है कि वादगत कृषि भूमि पहले हमारे पिता की खातेदारी भूमि रही है। हमारे पिता बिरजूसिंह का स्वर्गवास होने पर हमें यह भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। राजस्व अधिकारियों की गलती से मेरी बहिन मन्जूकंवर के नाम के स्थान पर विनोदकंवर व शम्मूकंवर के नाम के स्थान पर सम्पू लिख दिया गया है। मेरी बहिनों के समस्त दस्तावेजों में उनके सही नाम अंकित हैं। इसलिए राजस्व रिकार्ड में दोनों वादिनीगण के सही नाम मन्जूकंवर व शम्मूकंवर पुत्री बिरजूसिंह अंकित कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। दावा में राजस्थान सरकार को जरिये तहसीलदार, चूरू प्रतिवादी पक्षकार बनाया है जिन्होंने दावा के विरोध में न तो जवाबदावा पेश किया है तथा ना ही कोई साक्ष्य पेश किया है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 52, 72 तादादी 3.7560, 8.7261 हैक्टेयर रोही ग्राम धीरासर बीकान में वादीगण का नाम गलत रूप से विनोदकंवर व सम्पू दर्ज चला आ रहा है जिसको वादीगण दुरूस्त करवाना चाहती हैं। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में अपने परिवार के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड आदि की प्रतियां पेश की हैं जिनमें वादीगण का नाम कमशः मन्जूकंवर व शम्मूकंवर दर्ज है। दावा में प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादिनीगण वादगत कृषि भूमि में 1/15, 1/15 हिस्सा की खातेदार काश्तकार हैं। राजस्व रिकार्ड में वादिनीगण का नाम विनोदकंवर व सम्पू गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादिनीगण के समस्त दस्तावेजों में सही नाम मन्जूकंवर व शम्मूकंवर दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादिनीगण को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादिनीगण वादगत कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार हैं इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नामों को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादिनीगण द्वारा पेश दस्तावेजों से वादिनीगण का दावा वादिनीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है। इस प्रकार दावा वादिनीगण स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादिनीगण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि 52, 72 तादादी 3.7560, 8.7261 हैक्टेयर रोही ग्राम धीरासर बीकान में दर्ज खातेदार विनोदकंवर पुत्री बिरजूसिंह के स्थान पर मन्जूकंवर पुत्री बिरजूसिंह को एवं सम्पू पुत्री बिरजूसिंह के स्थान पर शम्मूकंवर पुत्री बिरजूसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. मन्जूकंवर पुत्री बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी धीरासर बीकान तहसील वा जिला चूरू हाल निवासी ग्राम ठेडी जिला सीकर (राज.)
2. शम्मूकंवर पुत्री बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी धीरासर बीकान तहसील वा जिला चूरू हाल निवासी तिहाय जिला सीकर (राज.)

–वादीगण–

बनाम

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 94 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री पवनसिंह शेखावत एवं श्री योगेश शर्मा एडवोकेट वादीगण, मिनजानिब मुदईब एवं पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादिनीगण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि 52, 72 तादादी 3.7560, 8.7261 हैक्टेयर रोही ग्राम धीरासर बीकान में दर्ज खातेदार विनोदकंवर पुत्री बिरजूसिंह के स्थान पर मन्जूकंवर पुत्री बिरजूसिंह को एवं सम्पू पुत्री बिरजूसिंह के स्थान पर शम्मूकंवर पुत्री बिरजूसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27 माह सितम्बर सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू